समाज में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा निवारण मे समाज एवं न्यायालय की भूमिका

विधि में पीएच.डी उपाधि हेतु शोध प्रस्तावना

शोध निर्देशक

डॉ. अजय सिंह

शोधार्थी

जितेन्द्र कुमार कुमावत

विधि विभाग

श्याम विश्वविद्यालय ,दौसा ,राज. जुलाई 2021

विषय सूची

क्र.स.	विषय	पृष्ठ सख्या
1	पृष्ठभूमि	
2	विषय एवं अध्ययन क्षैत्र	
	1.समाज में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा निवारण मे समाज एवं न्यायालय की भूमिका का अध्ययन	
3	उद्वेश्य	
4	अध्ययन की रूप रेखा	
	1. शोध की पृष्ठभूमि	
	2. सहित्य का पुन विलोकन एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	
	3. महिलाओं के विरूद्व घरेलू हिंसा में समाज स्त्री कारण	
	4. घरेलू हिंसा निवारण में गैर सरकारी सगठनों की भूमिका	
	5. घरेलू हिंसा निवारण में पुलिस का कार्य एवं भूमिका	
	6. घरेलू हिंसा निवारण में न्यायिक प्रकिया एवं न्यायालय की भूमिका	
	7. सरांश एवं सुझाव	
	8. सन्दर्भ सूची ।	
5.	शोध परिकल्पना	
6.	शोध प्रशन	
7.	शोध पद्वति	
8.	संन्दर्भ ग्रन्थ	

पृष्ठ भूमि

संसार में स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान हैं प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक महिलाओं की स्थिति में काफी उतार चढाव आता रहा हैं।

प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र हैं लेकिन आज भी हमारे समाज मे स्त्री व पुरूष के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता हैं स्त्री को आज भी पुरूष की तुलना में तुच्छ ही समझा जाता हैं।

महिलाये व पुरूष आज भी असमान दुनिया मे रहते हैं लिंग पर आधारित अन्तर और अस्वीकार्य असमानतायें आज भी हमारे देश में हैं। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गये है महिलाओं के लिए अनेक कानूनों का निर्माण हो चुका है लेकिन आज भी हमारे समाज में महिलाओं पर अत्याचार किये जाते हैं हमारे समाज में पुरूष अपना वर्चस्व बरकार रखने के लिए हमेशा महिलाओं के जीवन व स्वाभिमान की आहुति दी जा रही हैं।

आज भी हमारे देश की महिलाऐ सब कुछ अत्याचार सहन कर रही है और इन अत्याचारों के विरोध में अपनी आवाज नहीं उठा रही हैं। क्योंकि वह कानूनों से अनमीक अनजान और वह सोचती है कि इस पुरूष प्रधान समाज में उसकी कौन सुनेगा न समाज ना ही न्यायालय उसकी सुनेगा –न्यायालय में लगने वाला अधिक समय, महिलाओं में निराशा का मुख्य कारण हैं। इसलिए महिलाओं द्वारा इसी जीवन को अपनी नियति मान लेती है और अत्याचार सहती रहती है और सब कुछ सहना अपने व अपने परिवार के लिए बेहतर समझती हैं।

पायः देखा जाता हैं कि महिलाऐं परिवार के भीतर कभी पिता से तो कभी पति से दमन व शोषण का शिकार हो रही है इसका मुख्य कारण महिलाओं की कमजोर मानसिकता हैं जिसके कारण वह

जल्द ही पुरूषों के क्रोध व ईर्ष्या का शिकार बन जाती हैं वही हमारे समाज में चल रही लोकोतियों की पति को शादी के बाद महिलाओं पर हाथ उठान का अधिकार मिल जाता हैं।

घरेलू हिंसा आज दुनिया के हर देश व समाज में मौजूद हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अनेक प्रकार मौजूद हैं।

महिलाओं के खिलाफ हमलावरों व समाज द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गति विधियों शारीरिक शोषण, मावनात्मक शोषण, गाली–गलोच, मनोवेज्ञानिक दुव्यर्वहार, आर्थिक शोषण, ताना मारना आदि हैं। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है बल्कि यह विकसित देशों में भी बहुत प्रचलित हैं।

सभ्य समाज में हिसा का काई स्थान नहीं हैं लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिसा के जितने मामले समाने आते हैं वे चिन्तनीय स्थिति को अकित करते हैं हमारे में घरों के बद दरवाजों के पीछे महिलाओं को पराजित किया जा रहा हैं यह कार्य शहरों व गाँव दोनों मे हो रहा हैं।

ऐसा लगता हैं कि घरेलू हिंसा ने विरासत का रूप धारण कर लिया है यह हिंसा पीढी दर पीढी चली आ रही हैं। महिलाओं को एक वस्तु तुल्य माना जाता हैं पुरूष द्वारा इसका उपयोग भोग के लिए किया जाता हैं।

<u>ऐतिहासिक परिप्रेक्ष में महिलाओं की स्थिति</u>

हमारे समाज में महिलाओं की समस्याओं पर विचार करने से पूर्व स्त्रियों की बदलती प्रस्थिति पर भी विचार कर लेते हैं। स्त्रियों की स्थिति से तात्पर्य यह हैं कि एक समाज विशेष में स्त्रियों का क्या स्थान हैं, उन्हें पुरूषों से ऊँचा, बराबर या नीचा क्यों माना जाता हैं यह इस बात पर निर्भर करता हैं कि किसी सस्कृंति में स्त्रियों के प्रति पुरूषों का क्या दृष्टिकोण पाया जाता हैं इसके अलावा स्त्रियों की स्त्रियों की स्थिति के निर्धारण में इस बात का विशेष महत्व हैं कि उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं।

1. स्त्रियों की स्थिति

वैदिक काल में स्त्री पुरूषों की स्थिति में समानता थी। इस समय लडकियों का उपनयन संस्कार होता था और वो भी ब्रहाचर्य गुरूकुल में लडकों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी इस काल में ऐसे उदाहरण भी मिलते है जिनसे ज्ञान होता है कि इस समय लडके–लडकियों की शिक्षा साथ–साथ प्राप्त करते थे।

बाल विवाह का प्रचलन नहीं था विधवा अपनी इच्छा अनुसार विवाह कर सकती थी स्त्रियों की रक्षा करना पुरूष का धर्म माना जाता था और उनका अपमान करना पाप साराशं में यह कहां जा सकता है कि इस काल में स्त्रियों को पुरूषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे और दोनो की स्थिति में सामान्यत समान ही थी समाज में स्त्रियों को आदर दृष्टि से देखा जाता था।

उतर वैदिक काल

ईसा के 600 वर्ष पूर्व से ईसा में 300 वर्ष बाद तक का काल उतर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है इस काल के प्राराभ्भिक वर्षो में महाभारत की रचना हुई महाभारत एक सकुन्ति काल था इस काल में भी स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी इस काल में स्त्रियों को वेदों का अध्ययन की आज्ञा थी लडकियो की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था इस काल में स्त्रियों की स्थिति सन्तोष जनक थी।

मनुस्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया गया साथ ही उन्हें धार्मिक व सामाजिक अधिकारों से वचित कर दिया गया।

इस काल में विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गयी।

धर्मशास्त्र काल

ईसा के पश्चात् तीसरी शताब्दी से 11 वीं शताब्दी के पूर्वाध तक का काल धर्मशास्त्र काल के नाम से जाना जाता है। यह युग सामानिक सकिर्णता का युग था।

इस काल में स्त्रियों परतन्त्र, निस्सदाय एवं निवीच मानी जाने लगी। स्त्रियों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया इस काल के अन्तिम वर्षो में तो स्त्री को वस्तु के रूप में समझा जाने लगा उसकी स्वतन्त्रता पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये।

मध्य काल

11वीं शताब्दी से ही भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव बढने लगा था इस काल में हिदु धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के नाम पर स्त्रियों पर अनेक प्रातेबन्ध लगाये गये। उन्हें अधिकार से वंचित कर दिया गया औरतों पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण लगा दिये गये इस काल में स्त्रियों का शोषण जोरों पर था।

ब्रिटिश काल

इस काल में स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया ।

स्त्रियों की समस्याओं के समाधान हेतू प्रत्यन

महिलाओं की स्थिति में सुधारने लिए 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही कुछ चिन्तनशील व्याक्तियों जैसे राजाराम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र, विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती आदि ने भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया था।

राजाराममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और अपने प्रयत्नों से 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना ईश्वर चन्द्र विधासागर ने बहुपत्नी विवाह एवं विधवा पुन विवाह निषेध का विरोध किया और इनके प्रयत्नों से 1850 में विधवा पुर्नविवाह अधिनियम बना।

केशवरचन्द्र सैन के प्रयासों से 1872 में विशेष विवाह अधिनियम बना इन्होने ही विधवा पुनविवाह एवं अन्तजार्तिय विवाह को मान्यता प्रदान की। इस शताब्दी में कई महिलाओं एवं स्त्री संगठनो ने स्त्रियों को अधिकार दिलने एवं उनमें जाग्रति लाने के प्रयत्न किए। रमा बाई रानाडे, मेडम कामा, तोरदत मारग्रेट नोबल तथा ऐनीबेसेण्ट आदि महिलाओं तथा अखिल भारतीय महिला सेघ अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट आदि संगठनों ने भी स्त्री निर्योगताओं को कम करने एवं उनकी स्थिति को राष्ट्रीय आन्दोलनो में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। समय–समय पर अनेक ऐसे अधिनियम पारित

किये गये जिन्होने स्त्रियों की दशा को सुधारने में योग दिया 1955 के हिन्दु विवाह अधिनियम में स्त्री–पुरूषों के विवाह के सम्बन्ध में समान अधिकार दिए गए। बाल विवाह समाप्त कर दिया गया 1956 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1950 दहेज अधिनियम 1961महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक अधिनियम 1986 सती प्रथा अधिनियम 1987 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1980 घरेलू हिसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्त्रियों पर होने वाली हिंसा के कारण

1. शिक्षा का अभाव
2. पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता
3. सयुक्त परिवार व्यवस्था
4. वेवाहिक कुरीतिया
5. असमानता

घरेलू हिंसा निवारण में न्यायालय की भूमिका

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005

ऐसी महिलाओं के जो कुटुम्ब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीडित है सविधान के अधीन प्रलाभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुंषाणिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

घरेलू हिंसा की परिभाषा :–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का कोई कार्य लोप या किसी कार्य का करना या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह–

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपधनि करता है या उसे कोई क्षति पहुचाता है या उसे सकटा पज करता है या उसकी ऐसा कटने की प्रवृति है और जिसके अन्तर्गत शरिरिक दुरूपयोग लेगिक दुरूप्रयोग कारित करना भी या

(ख) किसी दहेज या अन्य संपति या मूल्यवान प्रति भूति के लिए किसी विधिविरूद्व मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे सम्बन्धित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीडित करने की दृष्टि से व्यक्ति का उलीडन करता है या उसकी उपहानि करता है या उसे क्षति पहुचाता है या संकटापज करता है या

(ग) खण्ड (क) या खंड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यस्थित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है या

व्यथित व्यक्ति को अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीडन कारित करता है चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक पुलिस अधिकारियों सेवा प्रेदाताओं और मजिस्ट्रेट।

कर्तव्यः– कोई पुलिस अधिकारी संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट जिसे घरेलू हिंसा की कोई सूचना या शिकायत प्राप्त हुई है जब घरेलू हिसा की किसी घटना की रिपोट उसको दी जाती है तो वह व्यथित व्यक्ति कोः–

इस अधिनियम के अधीन किसी संरक्षक आदेश धनीय राहत के लिए किसी आदेश किसी अभिरक्षा आदेश किसी निवास आदेश किसी प्रतिकर आदेश या एसे एक आदेश से अधिक के रूप में किसी अनुतोष को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की

(ख) सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता

(ग) संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता की

(घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार कीः–

(ङ) जहां कही सुसंगत हो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन किसी परिवाद के फाइल करने के उसके अधिकार की जानकारी देगा।

इस प्रकार हमारे समाज में महिलाओ पर होने वाले अत्याचरो के निवारण के लिए

- दहेज निरोधक अधिनियम
- बाल विरोधी अधिनियम
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
- कार्यस्थल पर उत्पीडन,रोकथाम अधिनियम 2013
- पॉस्को कानून
- बलात्कार रोकथाम अधिनियम 2013

जस्टिस जे.एस.वर्मा कमेटी ने महिला अत्याचार , यौन उत्पीडन रोकथाम के संबंध में सरकार को व्यापक सुझाव दिये है।

यद्यपि भारतीय समाज में नारी की भूमिका सदैव से अत्यंत गरिमामयी और महत्वपूर्ण रही है ,इसके बावजूद भी महिलाओं को उत्पीडिंत किया जाता रहा है । इसका कारण हमारे पुरूष प्रधान समाज की सरचना है जिसने समस्त जनमानस को कुप्रभावित कर रखा है स्वय स्त्रियां भी अपनी पिछडीं संस्कार जनित मानसिकता से उबर नही पायी है ।

आज सही रूप में देखा जाये तो महिला कही भी सुरक्षित नही है । समाज में महिला का जो रूप वैदिक युग में था , आज बिलकुल रूप सामने आ रहा हैं । इसे उपभोग की वस्तु माना जाता था । असामाजिक तत्व गलत तरीके से व्यवहार करते है एक महिला कार्यक्षेत्र पर तो अन्य लोगो से असुरक्षित है परन्तु परिवार में वह अपनो से भी

सुरक्षित नही है । जब एक पिता अपनी बेटी से बलात्कार कर सकता है तो अन्य सामाजिक परिवेश में असकी सुरक्षा की क्याा आशा की जा सकती है। एक लडकी का पित जो शादी करके सात वचन देकर उसे लाता है वही उसे केरोसिन तल डालकर दहेज के लिए जिन्दा जला देता है । एक लडकी कॉलेज के निकलती हैं और कुछ बदमाश संडक से गाडी में डालकर ले जाते है ओर सामूकि बलात्कार करते है यह तस्वीर अपन समाज की साक्षात तस्वीर है ।

उस समय अपने आयोग , सस्थायें अधिनियम कहां चले जाते है जब उसका जीवन तबाह होता है। कुछ लोग रैलीया निकालते हैं केडल मार्च करते हैं ये सब दिखावा करने वाले उस अपराध को बढावा देते है

सत्यता यह हैं कि आज भी हमारे समाज में महिलाओ के अनेक कानून का निमार्ण होने के बावजूद भी महिलाओं पर घरेलू हिंसा की घटनाये बढती ही जा रही हैं इस कोरोना काल में महिलाओं पर घरेलू अत्याचार की घटनाऐं तेजी से बढी है।

इस प्रकार हमारे समाज में महिलाओं पर होने वाले अत्याचरो की घटनाये तेजी से हो रही है लेकिन हमारे समाज के सघठनों इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण कार्य नही किया । आज का पुरूषो आज भी महिला को अपने हाथों की कटपूतली मानता है और नारी लोक लाज के कारण पुरूषों के अत्याचार सहती रहती है।

विषय एवं अध्ययन क्षैत्र

विषयः– समाज में महिलाओं के विरूद्व घरेलू हिंसा निवारण में समाज एवं न्यायालय की **भूमिका**

यह कि मेरे अध्ययन का क्षैत्र कस्बा फुलेरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान में रहने वाली महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा का अध्ययन करना व घरेलू हिंसा कि शिकार महिलाओं को न्यायालय व समाज नें क्या भूमिका निभाई है। का अध्ययन करना है ।

अधिकारों के सदर्भ में वैदिक काल में महिलाओं का उच्च स्थान था उन्हें पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे। महिलाओं पर घरेलू हिंसा नही कि जाती थी।

मध्यकाल तक आते आते यह स्थिति विपरीत हो गयी महिलाओं के सभी अधिकार समाप्त कर दिये गये तथा उन्हें भोग की वस्तु समझा जाने लगा

महिलाओं की इस स्थिति को देखते हुये सुधार के लिये कार्य किये गये जिनमें कि समाज व न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इनके द्वारा कही प्रयास किये गये तथा महिलाओ की स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किये।

सैद्वान्तिक रूप से वर्तमान में महिलाओं को सभी अधिकार प्रदान किये गये परन्तु इनकी जानकारी महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती है। जिनको आवश्यकता है वहां तक अधिकार नहीं पहुंचते है। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं भी इसका सदुरूपयोग नहीं कर पा रही है क्योकि पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता है।

वर्तमान समाज में जो विभिषिका देखने को मिल रही है वह आने वाले भविष्य के विनाशकारी सिद्व होती जा रही है तथा वर्तमान युवा पीढी पर भी विपरित प्रभाव डाल रही है जिससे भविष्य अधंकारमय होता नजर आ रहा है।

भावी पीढी में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत करवाना और उनको उनके अधिकारो की जानकारी देना है ।

वस्तुतःमहिला समाज की नीव है यदि उसको उसके अधिकारों से समय रहते अवगत नहीं कराया गया तो महिलाओं की स्थिति चिताजनक हो जायेगी ।

अतःमहिलाओं पर होने वाले अत्याचार में न्यायालय व समाज की क्या भूमिका है ?

महिलाओं के अधिकारों व सम्मान में गिरावट के क्या कारण है जो कि नाटकीय जीवन प्रदान कर रहे है उनका समाधान व सुझाव महिलाओं तक पहुचाने के लिए तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने के लिए समाज व न्यायालय ने क्या कार्य किये है ओर आने वाले समय में ऐसा क्या करे कि महिलाओं की स्थिति में सुधार किये जा सके।

का अध्ययन करना है। मैने अपने अध्ययन का क्षैत्र चुना है क्योकि जब तक महिलाओं पर अत्याचार होते रहेगे तब तक हमारा समाज उत्रति नहीं कर सकता।

उदेश्य

1. समाज मे महिलाओं के विरूद्व घरेलू हिंसा निवारण के सन्दर्भ में अध्ययन करना ।
2. समाज में महिलाओं की घरेलू हिंसा की समस्याओं का अध्ययन करना ।
3. महिलाओं को घरेलू हिंसा निवारण में न्यायालय की भूमिका का अध्ययन करना ।
4. महिलाओं पर बने कानूनों का अध्ययन करना ।
5. महिलाओं की घरेलू हिंसा में सुधार के लिए सुझावों का अध्ययन करना।

अध्ययन रूप रेखा

प्रस्तुत शोध को आठ भागों में विभक्त किया गया है।

1. शोध की पृष्ठभूमि
2. सहित्य का पुन विलोकन एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
3. महिलाओं के विरूद्व घरेलू हिंसा में समाज स्त्री कारण
4. घरेलू हिंसा निवारण में गैर सरकारी सगठनों की भूमिका
5. घरेलू हिंसा निवारण में पुलिस का कार्य एवं भूमिका
6. घरेलू हिंसा निवारण में न्यायिक प्रकिया एवं न्यायालय की भूमिका
7. सरांश एवं सुझाव
8. सन्दर्भ सूची

शोध परिकल्पना

आज मने अपने अध्ययन में महिलाओ पर होने वाली घरेलू हिंसा के निवारण में समाज व न्यायालय क्या भूमिका निभा रहे हैं कि वास्तविकता का पता लगाने के लिये तथा वर्तमान में इसकी सार्थकता के मूल्यांकन के लिये मैंने अपने शोध में इस विषय को चुना है।

वैदिक काल महिलाओं की स्थिति उच्च कोटि की थी जिसमें नारियों को पूजा जाता था उसको मध्यकाल में किस प्रकार नष्ट कर दिया गया तथा महिलाओं को क्यों अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

सामाजिक संस्थाओं के होते हुये भी आज महिलायें अपने अधिकारो से वंचित क्यों है। सामजिक संगठनों के होते हुये भी महिलाओ को उनके अधिकारो की जानकरी क्यों नही है। तथा समाज में विभित्सक वातावरण क्यों बन गया है। महिला अपने परिवार पर विश्वास नहीं कर सकती। क्योंकि उसे ऐसा वातावरण देखने को मिल रहा है ऐसा क्यो है? अपने पूर्वज तो ऐस नहीं थे उन्होने तो महिलाओं को पूजा है तो आज उनकी संतान इतनी निर्दयी क्यों हो गयी है?

महिलाओं के लिये संगठन बने हुये है जो कि का दावा करते है न्यायालय अपना कार्य उचित रूप से नहीं कर रहे है। न्यायालय को किसी भी वाद का निर्णय देने में वर्षो का समय क्या लग जाता है। इसका कारण क्या है? इनकी वास्तविकता का पता लगाने के लिये मैंने अपने शोध का विषय समाज में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा निवारण मे समाज व न्यायालय की भूमिका

शोध प्रश्न

1. घरेलू हिंसा क्या है?
2. प्राचीन समय में महिलाओ की स्थिति क्या थी?

3. घरेल हिसां निवारण में न्यायालय ने क्या किया ?
4. महिलाओं के लिये घरेलू हिंसा निवारण में सामाजिक संगठनों द्वारा क्या कार्य किये गये?
5. घरेलू हिंसा निवारण में महिला आयोग कि क्या भूमिका है?
6. अधिकारों के बावजूद आज की महिला की स्थिति चिन्तनीय क्यों है?
7. घरेलू हिंसा निवारण की स्थिति सुधारने के सुझाव क्या है?

शोध पद्धति

प्रस्तावित शोध प्रबंध में ऐतिहासिक शोध का प्रयोग किया जायेगा जो कि ऐतिहासिक व विकासात्मक अध्ययन से संबंधित है। जिसमें विभिन्न कारकों के मध्य संबंधो की व्याख्या एवं उनके मध्य गव्यात्मक क्रिया का प्रसंगवार विवेचन किया जायेगा।

इस संदर्भ में महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रयोग आवश्यक है जिसके लिये आस–पास के जिलो के अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकालयों का सहयोग लिया जायेगा। अध्ययन में घरेलू हिंसा महिलाओं के संदर्भ में का अवलोकन करने के प्राथमिक स्त्रोत की सहायता ली जायेगी।

यह अध्ययन मुख्यतः ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, एवं विकासात्मक प्रवृत्ति का होगा। इस अध्ययन के दौरान सार्थक पुस्तकों लेखों रिपोर्ट दस्तावेजो और अन्य स्त्रोतो की सहायता ली जायेगी जिससे अध्ययन में समग्रता का समावेश होगा।

आधुनिक काल के विद्वानो द्वारा लिखित सहायक ग्रंथो से सामग्री प्राप्त की जायेगी इसके लिये राजस्थान विश्वविद्यालय की सेन्ट्रल लाइब्ररी से अनेक पुस्तको का अध्ययन किया जायेगा। अनेक पत्र–पत्रिकाओ नेट जनरल्स आदि की सहायता ली जायेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तकें:–

1. साठे एस.पी. – ज्यूडिशियल एक्टिविज्म इन इण्डिया
   आस्सफोर्ड यनिवर्सिटी प्रेस ,इण्डिया ,(2008)
2. अनिरूद्व प्रसाद – विधिशा़स्त्र के मूल सिद्वान्त
   ईस्टन बुक कम्पनी 2007
3. जय नारायण पाण्डेय –भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ एजेंसी,इलाहाबाद (2016)
4. .वी.एन. शुक्ला– कान्स्टीट्यूशन आफॅ इण्डिया 11 वॉ संस्करण 2008
5. पी.एम बक्शी :– पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन्स द्वितीय संस्करण,2007
6. डॉ बसन्तीलाल बाबेल:– भारत का सविधान
7. जी.एस.पाण्डेय :– भारत का सविधान
8. आर.के चौधरी :– ज्यूडिशियल रिप्लेक्शन आफॅ जस्टिस भगवती प्रसाद
9. डॉ दुर्गादसा बसु:– इन्टोडक्शन टु द कान्स्टीटयूशन आफॅ इण्डिया
10. सुधा अवस्थी :– घरेलू अत्याचार अधिनियम 2005